MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 17th January 1970

NOTIFICATIONS

G.S.R. 132.—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby extends to the Union territory of Chandigarh, the Punjab Cinemas (Regulation) Haryana Amendment Act, 1969 (Haryana Act No 21 of 1969), as at present in force in the State of Haryana, subject to the following modifications, namely:—

Modifications

1. In section 2 of the Punjab Cinemas (Regulation) Haryana Amendment Act, 1969 (hereinafter referred to as the Act), for the words, figures and brackets "After section 7 of the Punjab Cinemas (Regulation) Act, 1952 (hereinafter referred to as the principal Act)", the words, figures and brackets "After section 7 of the Punjab Cinemas (Regulation) Act, 1952, as in force in the Union territory of Chandigarh (hereinafter referred to as the principal Act)" shall be substituted.

2. Section 4 of the Act shall be omitted.

ANNEXURE

THE PUNJAB CINEMAS (REGULATION) HARYANA AMENDMENT ACT, 1969, AS EXTENDED TO THE UNION TERRITORY OF CHANDIGARH

Haryana Act No. 21 of 1969.

An Act to amend the Punjab Cinemas (Regulation) Act, 1952.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Twentieth Year of the Republic of India as follows:—

1. **Short title.**—This Act may be called the Punjab Cinemas (Regulation) Haryana Amendment Act, 1969.

2. **Insertion of sections 7A, 7B and 7C in Punjab Act 11 of 1952.**—After section 7 of the Punjab Cinemas (Regulation) Act, 1952, as in force in the Union territory of Chandigarh (hereinafter referred to as the principal Act), the following sections shall be inserted, namely:—

"7A **Amendment or alteration in classification of seats and rates for admission by the licensee.**—(1) The licensee shall adhere to the classification of seats and the rates of admission to the cinematograph exhibition as approved by the licensing authority and shall not amend or alter the same without the written approval of the licensing authority.

(2) If the licensee intends to increase the rates for admission to the cinematograph exhibition, he shall make an application in writing to the licensing authority stating the reasons therefor, at least seven days before the date on which it is proposed to give effect to the increase in such rates.

(3) If the licensing authority is satisfied that the increase in the rates of admission to the cinematograph exhibition will not unreasonably affect the purchaser of the cinematograph tickets, it may, for reasons to be recorded in writing, grant the approval for such increase:

Provided that such approval shall not be granted by the licensing authority more than twice a year.

(4) Any person aggrieved by the decision of the licensing authority under sub-section (3) may, within such time as may be prescribed, appeal to the Government and the Government may make such order in the case as it thinks fit.

7B. **Power of Government to amend or alter rates for admission to cinematograph exhibition.**—If the Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, amend or alter the rates for admission to the cinematograph exhibition and the licensee shall comply with such order accordingly.

7C. **Penalty for re-sale of tickets and cognizance of offences.**—(1) Notwithstanding anything contained in section 56 of the Indian Easements Act, 1882, a ticket for admission to a cinematograph exhibition shall not be re-sold for profit by the purchaser thereof.

(2) Whoever re-sells any ticket for admission to a cinematograph exhibition for profit shall be punishable with fine which may extend to two hundred rupees.

(3) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1898, an offence under this section shall be deemed to be cognizable within the meaning of that Code."

3. **Amendment of section 9 of Punjab Act 11 of 1952.**—In clause (c) of section 9 of the principal Act, after the word and figure "section 5", the words, brackets, figures and letter "and sub-section (4) of section 7A" shall be inserted.

4. [Omitted].

[No. F. 15/2/69-UTL-109.]

G.S.R. 133.—In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution and all other powers enabling him in this behalf and in partial modification of the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs, No. S.O. 3894, dated the 30th October, 1963, in so far as it relates to the exercise of powers and discharge of functions, under the Punjab Cinemas (Regulation) Act, 1952 (Punjab Act No. 11 of 1952), as in force in the Union territory of Chandigarh, by the Administrator of that Union territory, the President hereby directs that the powers and functions exercisable and dischargeable by the Central Government under the said Act shall, subject to the control of the President and until further orders, be also exercised and discharged by the said Administrator, in relation to the said Union territory.

[No. F. 15/2/69-UTL-(ii).]

P. N. KAUL, Dy. Secy.

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, जनवरी 13, 1970

अधिसूचनाएं

स० आ० नि० 132—पंजाब पुनस्संगठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, पंजाब सिनेमा (विनियमन) हरियाणा संशोधन अधिनियम, 1969 (1969 का हरियाणा अधिनियम सं० 21) का जैसा कि वह हरियाणा राज्य में अभी प्रवृत्त है निम्नलिखित उपांतरणों के अध्यधीन रहते हुए, चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र पर एतद्द्वारा विस्तार करती है, अर्थात्:—

उपान्तरण

1. पंजाब सिनेमा (विनियमन) हरियाणा संशोधन अधिनियम, 1969 (जिसे इसमें इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में "पंजाब सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1952

(जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के पश्चात् "शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर" पंजाब सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1952, की धारा 7 के पश्चात् जैसा कि वह चण्डीगढ़ के संघराज्य क्षेत्र में प्रवृत्त है (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है)" शब्द, अंक और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

2. अधिनियम की धारा 4 लुप्त कर दी जाएगी ।

उपाबन्ध

पंजाब सिनेमा (विनियमन) हरियाणा संशोधन अधिनियम, 1969 जैसा कि वह चण्डीगढ़ के संघराज्य क्षेत्र पर विस्तारित है 1969 का हरियाणा अधिनियम सं० 21 पंजाब सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1952 का संशोधन करने के लिए अधिनियम । भारत गणराज्य के बीसवें वर्ष में हरियाणा राज्य के विधानमण्डल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :–

1. **संक्षिप्त नाम.**––यह अधिनियम पंजाब सिनेमा (विनियमन) हरियाणा संशोधन अधिनियम, 1969 कहा जा सकेगा ।

2. **1952 के पंजाब अधिनियम 11 में नई धाराओं 7क, 7ख और 7ग का अन्तःस्थापित किया जाना.**––पंजाब सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1952, जैसा कि वह चण्डीगढ़ के संघराज्य क्षेत्र में प्रवृत्त है (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 7 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

"7 क.––अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रवेश के लिए स्थानों (सीटों) और दरों के वर्गीकरण में संशोधन या परिवर्तन ––

(1) अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा यथा अनुमोदित चलचित्र-प्रदर्शन में स्थानों (सीटों) और प्रवेश की दरों के वर्गीकरण का पालन करेगा और अनुज्ञापन प्राधिकारी के लिखित अनुमोदन के बिना उसमें संशोधन या परिवर्तन नहीं करेगा ।

(2) यदि अनुज्ञप्तिधारी का चलचित्र-प्रदर्शन में प्रवेश की दरों में वृद्धि करने का आशय हो तो वह उस तारीख से कम से कम सात दिन पूर्व अनुज्ञापन अधिकारी को उसके लिए कारण बताते हुए लिखित रूप में आवेदन करेगा जिस तारीख से ऐसी दरों में वृद्धि को प्रभावी करने की प्रस्थापना की गई है ।

(3) यदि अनुज्ञापन अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि चल-चित्र प्रदर्शन में प्रवेश की दरों में वृद्धि का चलचित्र-प्रदर्शन टिकटों के क्रेता पर अयुक्तियुक्त प्रभाव नहीं पड़ेगा तो वह उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, ऐसी वृद्धि के लिए अनुमोदन प्रदान कर सकेगा ; परन्तु अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा ऐसा अनुमोदन वर्ष में दो बार से अधिक नहीं दिया जायगा ।

(4). अनुज्ञापन प्राधिकारी के उप-धारा (3) के अधीन के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे समय के भीतर जैसा कि विहित किया जाए, सरकार को अपील कर सकेगा और सरकार, मामले में ऐसा आदेश दे सकेगी जैसा कि वह उचित समझे ।

IndiaCode

7ख. चलचित्र-प्रदर्शन में प्रवेश की दरों में संशोधन या परिवर्तन करने के लिए सरकार की शक्ति—

यदि सरकार की यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है तो वह उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, आदेश द्वारा चलचित्र- प्रदर्शन में प्रवेश की दरों में संशोधन या परिवर्तन कर सकेगी और अनुज्ञप्तिधारी ऐसे आदेश का तदनुसार अनुपालन करेगा ।

7ग . टिकटों के पुनः विक्रय के लिए शास्ति और अपराधों का संज्ञान—(1) भारतीय सदाचार अधिनियम, 1882 की धारा 66 में किसी बात के होते हुए भी, चलचित्र-प्रदर्शन में प्रवेश के लिए टिकट का, उसके क्रेता द्वारा फायदे के लिए पुनः विक्रय नहीं किया जाएगा ।

(2) जो कोई चलचित्र- प्रदर्शन में प्रवेश के लिए किसी टिकट का फायदे के लिए पुनः विक्रय करेगा वह जुर्माने से जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा दंडनीय होगा ।

(3) दंड प्रक्रिया संहिता 1898 में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन कोई भी अपराध उस संहिता के अर्थ के अन्तर्गत संदेय समझा जाएगा ।"

3. **1952 के पंजाब अधिनियम 11 की धारा 9 का संशोधन**.—मूल अधिनियम की धारा 9 के खंड (ग) में, "धारा 5" शब्द और अंक के पश्चात् "और धारा 7 क की उपधारा (4)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अन्तः स्थापित किए जाएंगे ।

4. (लुप्त)

[संख्या एफ० 15/2/69—यू० टी० एल० (i)]

सा० का० नि० 133—संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (1) और इस निमित्त उसको समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का अनुसरण करते हुए और भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या क० आ० 3894, तारीख 30 अक्तूबर, 1968 का, जहां तक कि वह चंडीगढ़ के संघराज्य क्षेत्र में यथा प्रवृत्त पंजाब सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का पंजाब अधिनियम संख्या 11) के अधीन उस संघराज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन से संबंधित है, आंशिक उपान्तरण करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा निदेश देते हैं कि उक्त अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य और निर्वहनीय शक्तियों और कृत्यों का, राष्ट्रपति के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए तथा आगे आदेश होने तक, उक्त संघराज्य क्षेत्र के संबंध में उक्त प्रशासक द्वारा भी प्रयोग और निर्वहन किया जाएगा ।

[संख्या एफ० 15/2/69—यू० टी० एल० (ii)]

पी० एन० कौल, उप सचिव ।

GMGIPND—L—23:MofHA